न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 03/2023

रतिराम पुत्र पांचूलाल जाति मीना निवासी ग्राम गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा राज0
.....अपीलांट

बनाम

राज्य सरकार जरिए उपतहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार भाण्डारेज दिनांक 7–9–2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामावतार आदि मु0नं0 188/2022 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.5.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.9.2022 जो कि प्रकरण सं0 188/2022 उनवानी सरकार बनाम रत्तीराम से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हल्का पटवारी गोठडा द्वारा एक रिपोर्ट श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भाण्डारेज को इस आशय की पेश की कि ग्राम गोठडा के आराजी खसरा नम्बर 1015 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 1016 रकबा 0.01 है०, गै०मु० रास्ता सिवायचक भूमि पर संवत 2079 मे रतिराम पुत्र पांचूलाल ने अतिक्रमण कर बाजरा, मक्का बोकर एवं तारबंदी कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी अपीलांट को नोटिस जारी किये तथा प्रार्थी अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा तथा उक्त भूमि के संबंध मे न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा मे वाद विचाराधीन होने बाबत जानकारी दी किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब लिये बिना तथा साबिक राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी कर दिनांक 7–9–2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने एवं लगान 1.35 की 50 गुणा शास्ति 68 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ है इसलिए निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नही देकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है इसलिए निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी भी रास्ते की भूमि या सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। बल्कि अपीलांट अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की पैत्रिक भूमि ग्राम गोठडा मे स्थित है जो संवत 20[illegible] से [illegible] तक की भूमि अपीलांट के पूर्वज पांचूलाल व पुत्र लोहड्या, छाजू पुत्र [illegible] पुत्र लोहड्या एवं रामचन्द्र पुत्र लोहड्या की संयुक्त कब्जे काश्त एवं पृथक पृथक खातेदारी की भूमि खसरा [illegible] 124/1 – 26 तथा खसरा नम्बर 129/1–14 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है जिसका कुल [illegible] 58 बीघा 3 बिस्वा रहा है। तत्समय इस भूमि के खसरा नम्बर 124 के दिशा पूर्व मे तथा आंशिक रूप से दिशा उत्तर की ओर गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 122 रकबा 15 बिस्वा कुल चौडाई 4 मीटर का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नक्शाशीट मे मोजूद व चालू रहा है। किन्तु संवत संवत 2041 मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भूप्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अपीलांट्स व अन्य सहखातेदारान की भूमि खसरा नम्बर 124/1 – 26 के नये नम्बर 994 लगा० 1014, 1017, 1018, 1019, 1021 लगा. 1026 एवं खसरा नम्बर 1028 लगा0 1052 बनाये गये और उसका कुल रकबा 11.06 है० दर्ज किया गया जो कि पूर्व बीघा बिस्वा मे दर्ज क्षेत्रफल 47 बीघा 19 बिस्वा से 3 बीघा 17 बिस्वा कम कर दिया इसी के साथ भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गै०मु० रास्ता खसरा नंबर 122 रकबा 15 बिस्वा के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1015, 1015, 1016, 1027, 1637 बनाये गये तथा कुल रास्ते का रकबा 1.14 है0 बताया गया। तथा नक्शाशीट मे जो रास्ता संवत 2019 की नक्शाशीट मे केवल मात्र 4 मीटर चौडा था उसकी चौडाई अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को समाहित करके 8 मीटर से 15 मीटर तक बढ़ा दिया जबकि भूप्रबन्ध विभाग को अपीलांट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को कम करने का तथा उसे रास्ते मे दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नही था। जिस बाबत अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा दुरुस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी केसरी वगै. बनाम राजस्थान सरकार पेश कर रखा है जो विचाराधीन है, जिसमे आगामी तारीख पेशी 16–2–2023 नियत है। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय दौसा के समक्ष विचाराधीन वाद पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी थी तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया था कि अपीलांट पूर्व साबिक रिकॉर्ड अनुसार अपनी भूमि पर ही काबिज है। किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर केवल मात्र पटवारी की रिकॉर्ड को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का जवाब नही लिया तथा बिना जवाब लिये केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट द्वारा साबिक नक्शाशीट एवं साबिक राजस्व रिकॉर्ड योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बताया था किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त साबिक रिकॉर्ड को पत्रावली मे शामिल नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय मे पटवारी हल्का के बयान भी दर्ज नही हुए तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्श नही हुई तथा ना ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका दिया तथा बिना रिपोर्ट प्रदर्शित हुए आनन फानन मे साक्ष्य सबूत लिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 7–9–2022 को आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये और मौखिक रूप से कहा कि इस जमीन के संबंध मे न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय दौसा मे वाद विचाराधीन है जिस कारण अभी आपकी कोई कार्यवाही नही होगी, कोई जरूरत होगी तो सूचना देकर बुलवा लेंगे। लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 7.9.2022 उप तहसीलदार भांडारेज के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील कराई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने ग्राम गोठडा के राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1015 रकबा 0.14है0 खसरा नंबर 1016 रकबा 0.01 है.पर मक्का, बाजरा व

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

तारबंदी की जाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।
6. अपीलांट द्वारा दो मुख्य बिन्दु का अपने अपील में वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम यह कि उन्हें समुचित सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है, एवं द्वितीय यह कि संवत 2041 में भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान अपीलांट के खातेदारी भूमि को रास्ते के रूप़ में दर्ज कर दिया। एवं जिस भूमि को रास्ता दर्शाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वह भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है।
7. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं पाया कि प्रार्थी/अपीलांट दिनांक 19.7.2022 से पत्रावली में उपस्थित चले आ रहे है एवं 7.9.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के द्वारा भूमि पर स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण अपीलांट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये है। इससे पूर्व भी दिनांक 17.8.2022 एवं 7.9.2022 को दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया था। अतः हम अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है कि उन्हें साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।
8. जहॉ तक प्रश्न भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थी की भूमि को नियम विरूद्ध कम करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह न्यायालय कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं कर सकता। इस संबंध में अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के समक्ष एक वाद बाबत उदघोषणा दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है किन्तु उक्त वाद में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश संबंधित न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गसा है। वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नंबर 1015 व 1016 ग्राम गोठडा उप तहसील भांडारेज गै0मु0रास्ते के रूप में दर्ज है एवं उप तहसीलदार भांडारेज द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत रूप से पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested